भारत के राजपत्र

असाधारण, भाग **III** , खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24. सितंबर, 2018

संख्या 301–20/2018–एफएंडईए– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खण्ड (बी) उप–खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उप–धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में अगला संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता है, नामतः

दूरसंचार टैरिफ (चौसठवां संशोधन) आदेश, 2018

2018 का 02

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (चौसठवां संशोधन) आदेश, 2018 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (इसमें आगे जिसे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 2 में, उपखंड (ld) और उपखंड (le) को हटाया जाएगा।

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश के खंड 5 में, ''विशेष दूरसंचार सेवा'' शब्द के बाद, ''प्रासंगिक मानक पैकेज में निर्दिष्ट अनुसार'' शब्द हटा दिए जाएंगे।

4. मूल टैरिफ आदेश के खंड 11 के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः-

''11. सेवाओं के नियम एवं शर्तें: सेवा पैरामीटरों की गुणवत्ता के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ, जो प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनियम अधिसूचित करके तय किए जाएगें और सेवा प्रदाता, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के नियम एवं शर्तों से अवगत कराएंगे जो किसी भी तरीके से इस आदेश और अन्य विनियमों या निदेशों, जो प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किए जाएं, के प्रावधानों के असंगत नहीं होंगे।''

5. मूल टैरिफ आदेश की अनुसूची–I में–

(क) मद (9) के लिए निम्नलिखिम मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

मद	टैरिफ
(9) लोकल लूप टेक्नोलॉजी (फिक्स्ड) में वायरलेस सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क कॉल्स (फिक्सड)	बिलिंग चक्र का 50 मीटर्ड कॉल यूनिट्स प्रतिमाह

(ख) मद (9क) को हटाया जाएगा;

6 मूल टैरिफ आदेश के अनुसूची II में –

(क) मद (2) को हटाया जाएगा;

(ख) मद (4) के लिए, इससे संबंधित निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

मद	टैरिफ
(4) एक्टीवेशन प्रभार	सेवा प्रदाता द्वारा एकबारगी एक्टीवेशन चार्ज केवल तब लिया जाएगा जब ग्राहक प्रारंभ में सेवा प्रदाता के नेटवर्क से जुड़ता है। जब ग्राहक एक टैरिफ प्लान से दूसरे टैरिफ प्लान में जाता है तो उससे दुबारा एक्टीवेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा।

7. मूल टैरिफ आदेश में –

(क) अनुसूची III और उसके तहत प्रविष्टियां;

(ख) अनुसूची VII और उसके तहत प्रविष्टियां;

(ग) अनुसूची VIII और उसके तहत प्रविष्टियां;

(घ) अनुसूची XI और उसके तहत प्रविष्टियां;

को हटा दिया जाएगा

(शैलेन्द्र कुमार मिश्रा)
प्रधान सलाहकार (एफएंडईए)

टिप्पणी 1 –दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था, तत्पश्चात इसमें निम्नानुसार संशोधन किए गए:

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख
पहला	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999
5वां	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वां	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301–8/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301–8/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301–8/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306–1/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310–1(5)/ट्राई–2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301–9/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303–4/ट्राई–2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306–2/ट्राई–2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310–1(5)/ट्राई–2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310–5(17)/2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001

17वां	301/2/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303/3/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002
19वां	303/3/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312–7/2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
21वां	301–6/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002
22वां	312–5/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303/8/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306–2/2003–आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306–2/2003–आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306–2/2003–आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303/6/2003–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301–51/2003–आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301–56/2003–आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301–4/2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301–2/2004–आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301–37/2004–आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301–31/2004–आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312–7/2003–आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312–7/2003–आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312–7/2003–आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301–34/2005–आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301–2/2006–आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301–34/2006–आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301–18/2007–आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301–36/2007–आर्थिक दिनांक 24.1.2008
47वां	301–14/2008–आर्थिक दिनांक 17.3.2008
48वां	301–31/2007–आर्थिक दिनांक 01.9.2008
49वां	301–25/2009–ईआर दिनांक 20.11.2009
50वां	301–24/2012–ईआर दिनांक 19.04.2012
51वां	301–26/2011–ईआर दिनांक 19.04.2012
52वां	301–41/2012–एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012
53वां	301–39/2012–एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012
54वां	301–59/2012–एफएण्डईए दिनांक 05.11.2012
55वां	301–10/2012– एफएण्डईए दिनांक 17.06.2013
56वां	301–26/2012–ईआर दिनांक 26.11.2013
57वां	312–2/2013-एफएण्डईए दिनांक 14.07.2014
58वां	312–2/2013- एफएण्डईए दिनांक 01.08.2014
59वां	310–5(2)/2013-एफएण्डईए दिनांक 21.11.2014
60वां	301–16/2014-एफएण्डईए दिनांक 09.04.2015
61वां	301–30/2016-एफएण्डईए दिनांक 22.11.2016
62वां	301–30/2016-एफएण्डईए दिनांक 27.12.2016
63वां	312–1/2017-एफएण्डईए दिनांक 16.02.2018

टिप्पणी 2 – व्याख्यात्मक ज्ञापन (एक्सप्लेनेटरी मेमोरंडम), दूरसंचार टैरिफ (चौसठवां संशोधन) आदेश, 2018 के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन (एक्सप्लेनेटरी मेमोरंडम)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसमें आगे जिसे प्राधिकरण कहा गया है) ने निष्फल/अनावश्यक विनियमों, जिन्हें हटाया जा सकता है, की पहचान करने के लिए प्रधान सलाहकार (एनएसएल) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति में सेवा प्रदाता और उनकी एसोसिएशनों को शमिल किया गया था, जिनकी सूची नीचे दी गई है:

1 एसीटीओ	2 एयरसेल	3 एयूएसपीआई	4 भारती एयरटेल लिमिटेड	5 बीएसएनएल
6 सीओएआई	7 आइडिया	8 आईएसपीएआई	9 एमटीएनएल	10 आरकॉम
11 आरजेआईएल	12 टाटा कम्युनिकेशन लि.	13 टेलीनॉर	14 टीटीएसएल	15 वोडाफोन इंडिया लि.

2 (क) लाइसेंसिंग, (ख) क्यूओएस और (ग) टैरिफ संबंधी मुद्दों पर निष्फल/अनावश्यक विनियमों की पहचान करने के लिए समिति के सदस्यों को लेकर तीन अलग उप–समितियों का भी गठन किया गया था। उद्योग से संबंधित उप–समिति के सदस्यों ने लिखित में जानकारी प्रस्तुत की थी, जिस पर संबंधित उप–समितियों की बैठकों में विचार, चर्चा और विश्लेषण किया गया था। इन विमर्शों के आधार पर उप–समितियों ने समिति के अध्यक्ष को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी।

3 तीन–उपसमितियों द्वारा विनियमों को हटाने से संबंधित सिफारिशों को समिति के सभी सदस्यों को भेजा गया था। समिति की अंतिम बैठक 28 दिसंबर, 2017 को हुई थी।

4 समुचित विचार–विमर्श के बाद समिति ने अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) के विभिन्न प्रावधानों को हटाने, विलय करने या संशोधित करने के प्रस्ताव शामिल किए गए थे। टीटीओ से संबंधित मुद्दों पर समिति की अंतिम सिफारिशें टीटीओ 64वां संशोधन के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

5 (64वां) संशोधन में शामिल किए गए मुद्दें समिति की विभिन्न बैठकों में हुई चर्चाओं और सिफारिशों के अनुरूप थे, फिर भी प्राधिकरण ने दिनांक 09.07.2018 की प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा हितधारकों की टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट टीटीओ जारी कर के हितधारकों से और टिप्पणियां मंगाना उचित समझा।

6 टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.07.2018 थी और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06.08.2018 थी। केवल दो हितधारकों यथा वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और सीओएआई ने टिप्पणियां प्रस्तुत की।

7 सीओएआई और वोडाफोन इंडिया लिमटेड, दोनो सामान्य रूप से 64वें संशोधन के प्रस्तावित प्रावधानों से सहमत थे। बहरहाल, उन्होंने संबंधित मुद्दों पर कई अन्य सुझावों पर प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है जैसे:

(i) न्यूनतम टैरिफ संरक्षण की छह माह की अवधि को घटाकर तीन माह किया जाए।

(ii) थोक ग्राहकों के संदर्भ में तिमाही टैरिफ अनुपालन को हटाया जाए या इसे वार्षिक भादूविप्रा अनुपालनों का हिस्सा बनाया जाए।

(iii) राष्ट्रीय रोमिंग टैरिफ के लिए निर्दिष्ट टैरिफ उच्चतम सीमा को समाप्त किया जाए या इसे बाजार की शक्तियों के लिए छोड़ दिया जाए।

(iv) हर छह माह के बाद राष्ट्रीय और देशी भाषा के समाचारपत्रों में टैरिफ सूचना के प्रकाशन की शर्त को हटाया जाए।

(v) एसटीवी और कंबो वाउचर्स के लिए दस और दस के गुणकों के मूल्यवर्ग का उपयोग करने का लचीलापन, टॉक टाइम वाउचर के अतिरिक्त हो।

(vi) टॉक टाइम वाउचर पर प्रोसेसिंग शुल्क हटाया जाए।

(vii) पोस्ट पेड बिलिंग के लिए हार्ड कॉपी के स्थान पर एम–बिल या ई–बिल को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में माना जाए।

(viii) डीएलसी टैरिफ उच्चतम सीमा को हटाया जाए और टैरिफ निर्धारण को बाजार शक्तियों पर छोड़ा जाए।

(ix) विनियम 14 के तहत पंजीकृत टेलीमॉर्केटर या लेनदेन संबंधी संदेश भेजने वाली संस्था के अलावा व्यक्तियों द्वारा भेजे गए 50 पैसा/शॉर्ट मैसेज सर्विसेज (एसएमएस) के आधार मूल्य को हटाया जाना चाहिए।

8 प्राधिकरण ने सीओएआई और वोडाफोन द्वारा मुहैया कराई गई टिप्पणियों पर विचार किया और निष्फल विनियमों के हटाने के लिए गठित समित व उपसमिति की कई बैठकों के दौरान किए गए विचार विमर्श पर करीब से पर्यवेक्षण किया और यह पाया गया कि उपरोक्त सभी मुद्दें समिति के सदस्यों के साथ बैठक में उठाए गए थे और इन पर विचार किया गया था, जिसमें अन्य के साथ–साथ सीओएआई और वोडाफोन, दोनो के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति की अंतिम सिफारिशो से निष्कर्ष जो इस टीटीओ से जुडा हुआ है विभिन्न मुद्दों और उसके कारणों पर किए गए निर्णयो की सूची देता है। इस टीटीओ का उद्देश्य मुख्यतया समिति की सिफारिशों के अनुसार टीटीओ के विभिन्न निष्फल और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना, संशोधित या विलय करना है। किसी वर्तमान टैरिफ उच्चतम सीमा की समीक्षा करने, विनियमन या निर्देश देने से संबंधित अन्य सुझावों पर अलग से विचार किया जा सकता है, जैसा कि समिति ने सिफारिश की है।

9 टिप्पणियों में दिए गए एक विशिष्ट सुझाव के अनुसार यह स्पष्ट करना है कि प्रतिभूति जमा पर उच्चतम सीमा, जो 12 माह के किराये से अधिक नहीं है, को अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग और आईएसडी पर लागू न किया जाए। प्राधिकरण इस सुझाव से सहमत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस टीटीओ के खंड 5 में उल्लिखित प्रतिभूति जमा पर लागू उच्चतम सीमा को आईएसडी और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए लागू नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक

निष्फल विनियम शोधन समिति की रिपोर्ट – दूरसंचार टैरिफ आदेश के संबंध में

क्र.सं.	टीटीओ प्रावधान/अनुसूचियां	सिफारिश
1	धारा II- परिभाषा 'ld': रोमिंग टैरिफ प्लान ''रोमिंग टैरिफ प्लान'' या ''आरटीपी'' का आशय उस टैरिफ प्लान से है, जिसमें लोकल और लंबी दूरी (अंतर सर्कल), दोनो के लिए आउटगोइंग वॉइस कॉल और आउटगोइंग एसएमएस के प्रभारों में देश के अंदर उपभोक्ता की लोकेशन के साथ बदलाव नहीं होगा।	टीटीओ से इस परिभाषा को हटाया जाए क्योंकि कालांतर में संशोधित टीटीओ (60वां संशोधन) में ''विशेष रोमिंग टैरिफ प्लान'' की नई अवधारणा शुरू की गई थी।
2	धारा II- परिभाषा 'le': रोमिंग टैरिफ प्लान–एफआर ''रोमिंग टैरिफ प्लान–एफआर'' या आरटीपी–एफआर'' का आशय ऐसे आरटीपी से है जिसमें सेवा प्रदता द्वारा निर्धारित किया गया निश्चित प्रभार, यदि कोई हो, के भुगतान पर राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकमिंग वॉइस कॉल के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाता है।	टीटीओ से इस परिभाषा को हटाया जाए क्योंकि कालांतर में संशोधित टीटीओ (60वां संशोधन) में ''विशेष रोमिंग टैरिफ प्लान'' की नई अवधारणा शुरू की गई थी।
3	धारा III- खंड 5 : डिपॉजिट – जब तक कि अन्यथा प्रावधान न हो, तब तक कोई भी सेवा प्रदाता किसी भी उपभोक्ता से संबंधित मानक पैकेज में यथा निर्दिष्ट दूरसंचार सेवा विशेष के लिए उपभोक्ता से एक वर्ष के प्रभारयोग्य किराये से अधिक किसी दूरसंचार सेवा के लिए डिपॉजिट के रूप के किसी राशि की मांग या प्राप्त नहीं करेगा।	धारा III- खंड 5 : डिपॉजिट – ऐसा पढ़ा जाएगाः जब तक कि अन्यथा प्रावधान न हो, तब तक कोई भी सेवा प्रदाता निर्दिष्ट दूरसंचार सेवा विशेष के लिए उपभोक्ता से एक वर्ष के प्रभारयोग्य किराये से अधिक किसी दूरसंचार सेवा के लिए डिपॉजिट के रूप के किसी राशि की मांग या प्राप्त नहीं करेगा।
4	धारा IV- खंड 11: सेवाओं के नियम एवं शर्तें – सेवा पैरामीटरों की गुणवत्ता के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ, जो प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनियम अधिसूचित करके तय किए जाएं। सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के नियम एवं शर्तों के बारे स्पष्ट रूप से बताएंगे, जो किसी भी तरीके से इस आदेश के प्रावधानों के असंगत नहीं होंगे। इन नियम एवं शर्तों में अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगेः (क) नियम एवं शर्तें, जिनके तहत ऐसी सेवाएं प्राप्त, उपयोग, समाप्त की जाएंगी; (ख) सेवा उपयोग, बिलिंग, मरम्मत, दोष सुधार इत्यादि से संबंधित नियम एवं शर्तें; (ग) उपभोक्ता को उपलब्ध टैरिफ पैकेज तत्संबंधी शर्तों के साथ विकल्प बदलने हेतु उपलब्ध प्रक्रिया का विकल्प।	समिति ने इस तथ्य के आधार पर इस खंड की विषयवस्तु में संशोधन की सिफारिश करने की निर्णय लिया कि इसे टीटीओ के प्रारंभिक चरणों में शामिल किया गया था, जब अलग क्यूओएस विनियम नहीं थे। इस खंड के तहत उल्लिखित नियम एवं शर्तें, बाद के वर्षों में भादूविप्रा द्वारा संशोधन के बाद के क्यूओएस संबंधी विनियमों में शामिल किए गए हैं। टीटीओ में संशोधन करते समय इस खंड को पुनः परिभाषित किया जाएगा।
5	अनुसूची 1 – बेसिक सेवाएं (आईएसडीएन से इतर) मद (9): ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क कॉल (या अप्रभारित कॉल) मद (9क): लोकल लूप टेक्नोलॉजी (फिक्स्ड) में वायरलेस सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा	इन दोनों खंडों को मिलाने की सिफारिश की गई है।
6	अनुसूची II- सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस) मद (2) किराया और एयरटाइम प्रभार –	'संदर्भ टैरिफ पैकेज' और '30 सेकंड की पल्स अवधि' की अवधारणा अप्रासंगिक हो गई है और इस अनावश्यक अवधारणा को हटाया जाना जरूरी है।

	स्थगन में प्रावधान है कि: प्रत्येक सेवा प्रदाता ''सेवा प्रदाता का संदर्भ टैरिफ पैकेज'' के रूप में 30 सेकंड की पल्स अवधि के साथ मासिक किराया और एयरटाइम प्रति मिनट निर्दिष्ट करेगा। किसी भी टैरिफ पैकेट अर्थात् संदर्भ/वैकल्पिक में इनकमिंग कॉल के लिए कोई एयरटाइम प्रभार नहीं होगा।	इसी प्रकार 'एयर टाइम प्रभार' की अवधारणा भी अनावश्यक हो गई है।
7	अनुसूची II- सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस), मद (4) संस्थापना प्रभार	(i) ''संस्थापना प्रभार'' को ''एक्टीवेशन प्रभार'' से बदला जाए। (ii) निम्नलिखित पंक्तियां हटाई जाएंगी: *''सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत और कोई अप–फ्रंट भुगतान या आवर्ती प्रभार या शुल्क या ऐसी कोई राशि, चाहे जिस भी नाम या विवरण की हो, किसी भी मौजूदा लाइफ टाइम वैलिडिटी प्लान या अनलिमिटेड वैलिडिटी प्लान (इसमें आगे जिसे मौजूदा टैरिफ प्लान कहा गया है) के उपभोक्ता से नहीं ली जाएगी, बशर्ते कि ऐसा उपभोक्ता कम प्रवेश शुल्क वाले नए लाइफ टाइम वैलिडिटी या अनलिमिटेड वैलिडिटी प्लान में माइग्रेशन का विकल्प चुनता है।*
8	अनुसूची II- सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस), मद (7क) छियालीसवा संशोधन ग्राहक को बिल की हार्ड कॉपी, बिल की प्रिंटेड कॉपी प्रदान करने हेतु टैरिफ – शून्य	इसे पुनःपरिभाषित किया जाएगा ताकि बिल की हार्ड कॉपी के लिए उपभोक्ता द्वारा ''ऑप्ट–इन'' का विकल्प शुरू किया जा सके, यदि ऐसा अपेक्षित हो। (इस विषय पर कमिटी की सिफारिशो पर अलग से परामर्श प्रकिया द्धारा विचार विर्मश किया जाएगा।)
9	अनुसूची III- रेडियो पेजिंग सेवाएं	अनावश्यक है, हटाया जाए
10	अनुसूची VII- मूल्य संवर्धित सेवाएं और अन्य सेवाएं, जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं की गई हैं	अनावश्यक है, हटाया जाए
11	अनुसूची VIII- टेलेक्स और टेलीग्राफ सेवाएं	अनावश्यक है, हटाया जाए
12	अनुसूची XI- दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) के विनियम 16 के उपविनियम (3) के खंड (ख) में संदर्भित अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण के लिए टैरिफ।	निरस्त किया जाए क्योंकि टीसीसीसीपी विनियम ने पिछले यूसीसी विनियम को प्रतिस्थापित कर दिया है।